न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0— 177 सन् 2002

जनार्दन प्रसाद सिंह.....वादी

बनाम

राम नरेश सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः—

12.02.2020

वादी की ओर से हाजिरी है, प्रतिवादी अनुपस्थित है आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल संशोधन आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि अर्जीनालिश में वादी से एक प्लॉट का विवरण देना छूट गया है जिसकी मरम्मती होना आवश्यक है। नये संशोधन से मुकदमे के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है और उनमें लिपिकीये त्रुटि है अतः निवेदन है कि अर्जीनालिश में निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश दिया जाए। संशोधन सं0 1 अर्जीनालिश के पृष्ट सं0 11 में खात नं0 159 में जायदाद विवरण दिया गया है जिसमें प्लॉट नं0 97 के बाद तक प्लॉट नं0 326 के पहले निम्नलिखित

जमीन का विवरण जोड़ दिया जाए। खाता नं0 159 सर्वे नं0 303 रकबा 0—2—8।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त अवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नियत चला आ रहा है। प्रतिवादी इस वाद में विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है और उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रहा है। इस वाद में चूंकि विचारण प्रारंभ हो चुका है, इसलिए वादी की ओर से संशोधन आवेदन दिनांक— 12.12.2019 को न्यायहित में 500/— रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्चा की राशि जिला विधिक सेवा प्रधिकार, सारण में जमा करें और समय सीमा के भीतर अर्जीनालिश में संशोधन करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक— 19.02.2020

सब जज

सोनपुर सारण।